

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया

रिंकु प्रसाद सिंह बनाम् दीपक मंडल वगै०

वाद संख्या -169/2023

धारा - 144 द०प्र०सं०

1/3

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
22/2/24	<u>आदेश</u> अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। आवेदक रिंकु प्रसाद सिंह, पिता- द्वारिका सिंह, ग्राम- मंदरामों, थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह के आवेदन पर थाना प्रभारी सरिया के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विवादित भूमि, मौजा- मंदरामो, थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह, खाता नं०- 40/731, प्लॉट नं०- 2183/4883, रकवा- 6.32 डी० चौहद्दी : उत्तर- दशरथ राम का पक्का मकान, दक्षिण- घनश्याम मंडल का परती जमीन, पूरब- उमर बढई का परती जमीन, पश्चिम- सरिया बगोदर मुख्य पक्की सड़क, पर दिनांक 23/12/23 को नोटिस निर्गत करते हुए द०प्र०सं० की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया। उभय पक्ष को निषेधाज्ञा की संपुष्टि हेतु कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु भी निदेशित किया गया। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा तथा दावे के समर्थन में कागजात दाखिल किए। प्रथम पक्ष का कहना है कि उक्त जमीन उन्हे निबंधित विक्रय पत्र द्वारा हासिल है। जिसका केवाला सं०- 7018 दिनांक 17/08/2012 है। प्रथम पक्ष का आगे कहना है कि खरीदगी के उपरांत नामांतरण वाद सं०- 499/2012-13 के आलोक में	

अंचल कार्यालय सरिया में उक्त भूमि का दाखिल खारिज स्वीकृत हुआ तथा उक्त भूमि की जमाबन्दी अंचल-सरिया के हल्का-4 के मौजा-मंदरामों के पंजी- II के पृष्ठ सं०- 134, भाग सं०- 23 पर दर्ज किया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त दावे के समर्थन में केवाला की छायाप्रति, दाखिल खारिज वाद की छायाप्रति तथा एक लगान रसीद भी संलग्न किया गया।

वहीं द्वितीय पक्ष का कहना है कि विवादित भूमि संयुक्त खरीदगी भूमि है जिसके खरीददार प्रथम पक्ष तथा एक अन्य त्रिभूवन मंडल हैं। उनका आगे यह भी कहना है कि द्वितीय संयुक्त खरीददार त्रिभूवन मंडल के द्वारा द्वितीय पक्ष के सभी लोगों को मजदुर के रूप में कार्य कराया जा रहा था। द्वितीय पक्ष ने अपने दावे समर्थन में उसी केवाला की छायाप्रति संलग्न किया जो प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा ऑनलाइन जमाबन्दी की छायाप्रति भी दाखिल किए।

सुनवाई के दौरान प्रथम पक्ष के द्वारा वाद को द० प्र० सं० की धारा 145 के तहत परिणत करने का आवेदन भी दिया गया साथ ही एक अगली तिथि में प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त भूमि पर निषेधाज्ञा के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए द्वितीय पक्ष के विरुद्ध भा० द० वि० की धारा 188 के तहत कार्यवाई का भी आवेदन दिया गया।

उभय पक्षों के द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों को सुनने तथा अन्य तथ्यों के सम्यक विवेचन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उक्त विवादित भूमि प्रथम पक्ष- श्री रिकु प्रसाद सिंह तथा एक अन्य श्री त्रिभूवन मंडल की संयुक्त खरीदगी भूमि है। उक्त केवाला में दोनों का हिस्सा बँटा

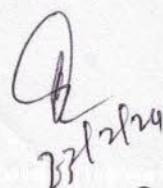
हुआ नहीं है तथा वर्तमान विवाद दोनों पक्ष के मध्य भूमि के स्वत्व तथा बँटवारे को लेकर है वाद की सुनवाई, कारण पृच्छा इत्यादि के साथ भी उनके द्वारा उक्त भूमि का कोई बँटवारानामा प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार यह ज्ञात करना मुश्किल है कि कौन सा पक्ष किसके हिस्से की भूमि पर कार्य कर रहा है अथवा दखलकार है।

बँटवारा स्पष्ट नहीं होने, दोनों खरीददार का संयुक्त खरीदगी होने कारण इस वाद का निपटारा द० प्र० सं० की धारा 144 के तहत संभव नहीं है।

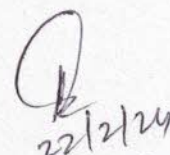
चूँकि यह वाद स्वत्व का नए रूप से निर्धारण तथा बँटवारा से संबंधित प्रतीत होता है जो कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है अतः इस वाद को द० प्र० सं० की धारा 145 में परिणत करना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रथम पक्ष विवाद के निपटारे के लिए सक्षम न्यायालय जा सकते हैं। द० प्र० सं० की धारा 144 (4) के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

पुनश्च: प्रथम पक्ष द्वारा निषेधाज्ञा प्रवृत्त रहने के दौरान द्वितीय पक्ष पर निषेधाज्ञा उल्लंघन करने के आरोप की जाँच थाना प्रभारी, सरिया से कराई गई। थाना प्रभारी, सरिया के जाँच प्रतिवेदन ज्ञापांक 350/24 दिनांक 21/02/2024 के द्वारा द्वितीय पक्ष के द्वारा निषेधाज्ञा उल्लंघन की पुष्टि की गई है। अतः भा० द० वि० की धारा 188 के तहत अग्रेतर कार्यवाई हेतु नोटिस निर्गत करें।

लेखापित एवं संशोधित।



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।

सुनवाई 21/02/24
दस्तावेज 21/02/24
नोटिस 21/02/24